प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सात'

[20/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 691]

परिशिष्ट

प्रश्न क्र- 691, सदस्य - मा. श्री दुर्गालाल विजय
सदन दिनांक 20/7/17

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय श्योपुर (म.प्र.)

क्र./स्था/2016/340

श्योपुर दिनांक : 01.07.2016

प्रति,

महाप्रबंधक (स./नि.),
म.प्र.ल.उ.नि.
द्वितीयतल आईआईडीसी प्लाजा भवन
39 सिटी सेन्टर ग्वालियर म.प्र.

विषय : पॉलीटेक्निक महाविद्यालय श्योपुर के भवन आधिपत्य के समय रही खामियां दूर करने बावत्।

विषयान्तर्गत लेख है कि शास. पालीटेक्निक महाविद्यालय श्योपुर के मुख्य भवन का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया गया है जिसके आधिपत्य समय से हीं संस्था में कमियां रही है जो बाद में सही करने के आश्वासन के बाद आज दिनांक तक कायम है इस सम्बंध में श्री वर्मा जी को भी मौखिक अवगत करा दिया गया था, कुछ कमिंया इस प्रकार हैं जैसे:-

1. संस्था के किसी भी खम्भे की स्ट्रीट लाईट का न जलना।
2. कालेज की वायीं तरफ की सीढ़ियों के उपर एक विंग में लाईट कनेक्शन का नहीं होना।
3. मुख्य द्वार पर बने छज्जे पर बने पाईंट में लाईट का न लगाना।
4. खिड़किया लॉक न हो पानें के कारण लगभग आधी खिड़कियो कें कांच टूट जाना।
5. बीच चौक का फर्स फूलकर उखड़ना।
6. बाहर की सभी ड्रेनेज नालीयो का धंसक कर खत्म हो जाना।
7. साईकिल स्टेण्ड पूर्णतः टूट जाना।
8. संस्था के समाने का ग्राउण्ड का नाले मैं तब्दील होना।
9. बाउण्ड्रीवाल के नीचे से पानी निकलने की सही व्यवस्था न होने से ग्राउण्ड का कटाव होकर नालों में तब्दील होना
10. संस्था में बृक्षारोपड़ न कराना जिससे मिटटी कटाव का न रुकना।
11. ड्रेनेज पानी की नालियों में जाली न लगाने के कारण संस्था में जंगली जानवरों का प्रवेश होना।
12. मुख्यद्वार का छोटा वाला गेट बहुत ही घटिया एवं अनप्रेक्टीकली बनाना, जिससे निकलते समय अधिकांशता वाहन नीचे गिरना व गाड़ियो के साथ चालक भी गम्भीररूप से जख्मी होना।
13. पानी की पाईप फिटिंग ओपन होने से धूप में ज्वाईट खुलने से पानी का बर्वाद होना।
14. संस्था के दो सवमर्सिवल पम्पो मेंसे एक पम्प का कोई कनेक्शन न होना व चालू न होना।
15. संस्था की दो साईड पर प्रकाश की कोई व्यवस्था न करना।
16. दूसरे सवमर्सिवल पम्प की पाईप लाईन के टूटे होने के कारण पानी का बर्वाद होना।
17. संस्था के 01 कमरे का आधिपत्य आपके ठेकेदार द्वारा न देने के कारण उसका दरवाजा आदि को दीमक द्वारा नष्ट करना।
18. कम्प्यूटर लैव के कांच की सही फिटिंग न होंने से कांचगेट का पूर्णतः टूट जाना।
19. संस्था की नलो की अधिकांश टोटियों का घटिया स्तर का होने के कारण खराब हो जाना।
20. संस्था की लगभग समस्त दीवारों में भारी क्रेक (दरार) का आना।
21. कारीडोर के किनारे किनारे लगी स्कार्डिंग का पूरी तरह से उखड़ जाना।
22. दीवारों के ज्वाईट पर लगी चददरों का उखड़ना एवं उनके अन्दर सर्प,विच्छू आदि जानवरों का वास हो जाना।
23. ग्राउण्ड के पेड़ पौधों आदि के लिए एक भी डायरेक्ट कनेक्शन का न देना।
24. वाटरकूलर हेतु कोई भी पाईंट का न बनाना।
25. फर्स्ट फ्लोर पर विकलांग जनों ... [illegible]

अतः अनुरोध है कि आप स्वयं या किसी अन्य से संस्था का मौका मुयायना कराकर कमियां दुरुस्त कराने का कष्ट करें. अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

प्राचार्य
शासकीय पाली. महाविद्यालय
श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क्र. / स्था / 2014 / 341 श्योपुर, दिनांक 01.07.2016

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर महोदय, जिला श्योपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (सं / नि.) म.प्र.ल.उ.नि. भोपाल।
3. संचालक तकनीकी शिक्षा संचालनालय चतुर्थ तल सतपुड़ा भवन भोपाल।

प्राचार्य
शासकीय पाली. महाविद्यालय श्योपुर